

न्यूनतम मजदूरी आगमन-1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित विधायकों में एवं परिवर्तनीय महंगाई माला कागजों के मूल मूल्य-01-01-2021 पर्यन्त (एफएचएल)/10 दिनांक-01-10-2021 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजकां सं-194/30-3-2014-07(न्युनिके)/4 दिनांक-28-01-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/30-3-2019-931(न्युनिके)/6 दिनांक-28-09-2014 द्वारा 16 अनुसूचित विधायकों में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की मूल दरें एवं परिवर्तनीय महंगाई माला का निर्धारण करते हुए आगमन विनियम किया गया था जिसके फलस्वरूप-4 में टक्का में जुड़ि के सम्बोधित करते हुए संशोधित आगमन विनियम किया जा रहा है।।

उक्त के अनुसार में निर्धारित 74 विधायकों में नियोजित कर्मचारियों के विवे अधिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 345 अंकों के ऊपर जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 के औसत अंक 345 अंकों पर दिनांक 1.10.2021 से दिनांक 31.3.2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई माला निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय होगा-

दृष्टान्त- रूपरे-5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अनुसार श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक-345 पर दिनांक 01-10-2021 से दिनांक 31-3-2022 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महंगाई माला निम्नलिखित होगा।

(345-216) X 5750/-=5757/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई माला मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् है-

कर्मिक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपरे में	दिनांक 1.4.2021 से 30.9.2021 तक			
			दिनांक 01.4.2021 से 30.9.2021 तक	दिनांक 01.10.2021 से 31.3.2022 तक	कुल मजदूरी (रूपरे में)	दैनिक मजदूरी (रूपरे में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुसूचित	5750	3328	3434	9164	353.23
2	अधिसूचित	8325	3660	3777.29	10,102.29	389
3	कुशल	7085	4100	4231.16	11216.16	435.23

नियोजन के नाम-

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टापर और टयूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिथान उद्योग।
4. वासित पेयों (एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लान्डुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और जीजल आयल पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलाये वपदों की विनिर्माणशाला।
10. बींध लटवध के निर्माण और अनुसूचण, सिंबाई परियोजनाओं कुओ और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13. इलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शोपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।
17. चर्म शोपनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी सक्कर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ सक्कर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएँ भी सम्मिलित है।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वाणिजी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकानों में।
27. वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. यौतिक परिवहन कर्मशाला।
32. आलोमोबाइल रिपेयर कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण सकियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. बिक्रम के कार्य।
36. दियासलाई उद्योग।
37. आइसक्रीमी/आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिरकुट विनिर्माणशाला।
39. बर्फ विनिर्माणशाला।
40. एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।

41. गणदा और बुनाई अवस्था।
42. किल्लसाही।
43. कोल्हा स्टोरेज।
44. पाटरी, सिरेमिकल या थिरेम्टीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा उद्योग।
48. सिलाई उद्योग।
49. एरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
50. कारख।
51. हथकरघा/सिल्क की साड़ी की बुनाई जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसोधन की साबुन या सिलिकेट या साबुन का धुल या प्रसोधक विनिर्माण।
53. ऊनी कपड़ा बनाने के अतिष्ठान।
54. गान्धसाही।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति संचित करघा उद्योग।
57. छोटा/मिनीएयर ब्रॉड एन्ड कोथ उत्पादों के निर्माण।
58. जगज, गल्ला और वेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईट भट्ठा उद्योग।
60. लाला उद्योग के नियोजन में।
61. पीतल के बर्तन एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62. किसी निजी मुद्रण और सेवा प्रदाता अधिकरण में नियोजित मुद्रण कर्मी(मुद्रण कर्मियों) जिन्होंने हथियार सहित/हथियार रहित आदि कभी सम्मिलित हो।
63. बुहारण और सफाई में नियोजन जिसमें सफाई कर्मधारी नियोजन एवं शुष्क सौकराजों का निर्माण(प्रतिरोध) अधिनियम 1973 के अन्तर्गत के विधिद किया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
64. घरतु कामगारी का नियोजन।
65. कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66. एन्वोपीडिजी वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67. टैक्सोड, आटोरिक्षा/टैम्पो एवं टैक्सेलिंग अधिकरण में नियोजन।
68. कंठित आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69. गैर सरकारी संगठन(एन्वोपीडिजी) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70. डिक्क संघर्ष(विक्रय संघर्ष(सेवा शरी) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71. होयर कटिंग, सैलून एवं व्युटी पार्लर(पुरुष एवं महिलाओं) में नियोजन।
72. कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73. कार सेंटर/आईडीटी इन्डस्ट्रीज/टैलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74. ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आछादित न हों, में नियोजन।

(आरोपी/मुद्रण)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

संख्या 630-37

प्रवर्तन-(एम०उ०ब०उ०)/15

दिनांक 08/10/2021

प्रतिनिधि-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करावे तथा समिति, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा भोगे जाने पर उपायवाच करार।
2. अनुसूचित उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (विज सैल) भारत सरकार नई ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिसूची निदेशक उद्योग कृत् लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त (आई० अ०), मुख्यालय, कानपुर।
6. अपर श्रम आयुक्त (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कोई ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री दिग्विजय कुमार, पुरतकालसायन, मुख्यालय को अभिलेखाप्रे प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में विशुद्ध प्रकाशनार्थ।

(आरोपी/मुद्रण)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।